ISSN-2320-4494
RNI No.MAHAUL03008/13/2012-TC
Impact Factor : 2.7286

POWER OF KNOWLEDGE

An International Multilingual Quarterly Peer Review Refereed Research Journal

July Special Issue I

ARTS | COMMERCE
SCIENCE | AGRICULTURE
EDUCATION | MANAGEMENT
MEDICAL | ENGINEERING & IT I LAW
PHARMACY | PHYSICAL EDUCATION
SOCIAL SCIENCE | JOURNALISM
MUSIC | LIBRARY SCIENCE |

www.powerofknowledge.co.in
E-mail : powerofknowledge3@gmail.com

Editor
Professor Dr.Sadashiv H. Sarkate

RNI No. MAHAUL03008/13/1/2012-TC

POWER OF KNOWLEDGE

An International Multilingual Quarterly Peer Review Refereed Research Journal

Editor
Dr. Sadashiv H. Sarkate

● **Mailing Address** ●

Dr. Sadashiv H. Sarkate
Editor : POWER OF KNOWLEDGE
Head of Dept. Marathi
Art's & Science College, Shivajinagar, Gadhi, Tq. Georai Dist. Beed-431 143 (M.S.)
Cell. No. 9420029115 / 7875827115
Email : powerofknowledge3@gmail.com /
shsarkate@gmail.com

Price : Rs. 300/-
Annual Subscription: Rs. 1000/-

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	प्रकरण	संशोधक	पृष्ठ क्रं.
1	"Geographical Study Of Changing Rural And Urban Population Growth In Beed District. "	Dr.Ghodke. J. V.	1-6
2	Socio-Economic Condition of Rural Women in Jalna District	Dr. Pandit K. Gate	7-9
3	Municipal Modernization and the Quality of Local Public Administration	Dr.S.P.Talawar	10-15
4	Mob Lynching : A Crime against Justice for showing Justice	Dr. Rahul Tiwari	16-21
5	Place of English in modern India and changes needed in teaching and learning of English	Pawar Sharad Subhashrao Dr.Swapna C. Vyawahare	22-25
6	Institutions Impact On Rural Liveloohoods: Kalanoor Village Case Study	Dr Santosh Rathod	26-36
7	Performance And Trend Of Agriculture In Indian Post-Independence Era	Dr. Balwant Patil	37-45
8	The Cost of Deforestation	Pawan Kumar Srivastava	46-49
9	Research on Wireless Sensor Network	Prof. Pooja Dhananjay Deshmukh	50-53
10	Nation and Nationalism in In an Antique Land	Dr. Girish B. Kalyanshetti	54-56
11	Women Empowerment in Sri Guru Granth Sahib	Dr. Vincent Kaitan D'mello	57-61
12	New way to run banking using big data application	Ganesh Abhang Prof. Dr.Om Prakash Haldar	62-68
13	'असा घडलो असा लढलो' मधील कृष्णा मेणसेंचे विविधांगी जीवन	डॉ.मैजोद्दीन मैनोद्दीन मुतवल्ली कु.कृष्णा नामदेव पाटील	69-71
14	कवीवर्य नारायण सुर्वे यांचा मानवतावादः एक चितंन	डॉ. विनोद उत्तमराव भालेराव	72-76
15	"मराठी लोकसाहित्यातील निवडक लोककला"	प्रवीण शंकर सोलनकर	77-83
16	अठारहवीं सदी के महाराष्ट्र में भू-राजस्व व्यवस्था	प्रा.सुरेंद्र अर्जुन शिरसट	84-89
17	जगन्नाथ उर्फ नाना शंकरशेठ यांचे मुंबई विकासातील योगदान 'पृथ्वीपती' कादंबरीच्या आधारे	डॉ.मैजोद्दीन मैनोद्दीन मुतवल्ली कु.संतोष नारायण मादाकाचे	90-95
18	आधुनिक तंत्रज्ञानाची कृषी क्षेत्रातील भूमिका	श्री. राजीव गंगाधर देहाडे	96-99
19	बाजः मनाला चटका लावणारा कथासग्रंह	प्रा. डॉ.जनार्धन परकाळे	100-104
20	मध्ययुगीन मराठी साहित्याची समीक्षा: एक दृष्टिक्षेप	डॉ.शरद आसाराम खांडेभराड	105-108

अठारहवीं सदी के महाराष्ट्र में भू-राजस्व व्यवस्था

प्रा.सुरेंद्र अर्जुन शिरसट
सहाय्यक प्राध्यापक
कला, महाविद्यालय, भिगवण, ता.इंदापूर जि.पुणे

शोध सारांश:-

मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व था। कृषि पर कर सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थे। भारत में कृषि का महत्व प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है। इसलिए प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन ग्रंथों में कृषि से संबंधित कई संदर्भ मिलते हैं। कृषि आय के महत्व के कारण, सरकार ने खेती के तहत अधिक भूमि लाने का प्रयास किया है। भूमि की नियमित जुताई को प्रोत्साहित किया गया। भू-राजस्व एकत्र करते समय भूमि और फसल निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। पहले जमीन का सर्वे किया गया और फसल तैयार होने के बाद फसल का निरीक्षण कर कर का निर्धारण किया गया। मध्यकालीन शासकों निजामशाही के वजीर मलिक अंबर और छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत अच्छी कृषि प्रणाली की स्थापना की जो बाद के समय में टिकाऊ बनी रही। अठारहवीं शताब्दी में, सरकार ने कृषि आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का निर्माण किया और बंजर भूमि रखने वाले किसानों पर एक बंजर भूमि कर लगाया।

किवर्ड : कुटीर उद्योग, बटाई, बिधावनी, चकबंदी, सारा, कास, टके / टका, रुका, पडीचा पैका.

मध्यकालीन शासनकी अर्थव्यवस्था में भू-राजस्व सबसे आय देनेवाला कर था। अधिकांश लोग खेती में लगे हुए थे। इसलिए, कृषि की प्रकृति, राजस्व संग्रह, कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विकासों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए वर्तमान मामले में विषय वस्तु तैयार की गई है। विषयवस्तु समझने के लिये में मुख्य रूप से अठारवीं सदी के प्रांत पुणे और तरफ पाटस प्रदेशोंसे से उदाहरण शामिल हैं।

कृषि की खोज मानव विकास प्रक्रिया के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में मानव संस्कृति के विकास में कृषि महत्वपूर्ण रही है। हड़प्पा संस्कृति में, बैलों द्वारा खींचे गए लकड़ी के हल से जुताई की जाती थी और गेहूं, जौ और कपास की सूखी खेती की जाती थी।[1] ऋग्वेद में मुख्यतः ४५०० से २५०० ईसा पूर्व के वैदिक काल के कृषि और कृषि जीवन की जानकारी मिलती है। आर्य अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। आज की कृषि प्रगति के बीज वैदिक कृषि में दिखाई देते हैं। आर्य भूमि की पूर्व जुताई कर रहे थे, बीज बो रहे थे और खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल की अंतर-फसल काट रहे थे।

मिट्टी की बनावट और जलवायु के अनुसार फसलों का चयन किया गया। वेद ग्रंथोमें हल, हल का फाल, कुदाल, चाबुक, सूप, दरांती आदि जैसे कृषि उपकरणों का उल्लेख है, जबकि अथर्ववेद में हल बनाने का वर्णन है।[2] प्राचीन काल में किसानों के पास निजी जमीन के साथ-साथ सरकारी जमीन भी थी और रबी के मौसम में फसलों का उल्लेख है ... बुवाई से पहले बीजों को संसाधित किया जाता था और फसलों की सिंचाई की सुविधा होती थी ... किसानों को वार्षिक कृषि उपज का भुगतान करना पड़ता था। अकाल के समय उन्हें सहायता मिलती थी... प्राकृतिक आपदाओं जैसे फसल की क्षति और सूखे से होने वाली बीमारियों, शत्रु सेना और जंगली जानवरों के कारण किसानों को माफ कर दिया जाता था।[3]

संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी में ज्वार, धान, गेहूँ, हरा चना, चना, तिल, सरसों, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, नागवेल, लहसुन, प्याज, मिट्टी, लौंग, अदरक, हींग, तेज पत्ता; कद्दू और पड़वल सब्जियां; केला, कपूर केला,

नारियल, सुपारी, बोर, आंवला और कवथ और पारिजातक, शेवंती, जय, मोगरा, सोनचफा, कनक चफा और ... का उल्लेख है। इस लिहाज से इन फसलों की खेती महाराष्ट्र में की जानी चाहिए। इसके अलावा, ज्ञानेश्वरी में हल, ... और कुदाल, कुल्हाड़ी और कैंची का उल्लेख है। इसलिए, ज्ञानेश्वरी में भूमि की पूर्व-खेती, बीज, बुवाई, उर्वरक, खरपतवार, सिंचाई, फसल वृद्धि, रखरखाव, कटाई, थ्रेसिंग, उबालने और अनाज के भंडारण का उल्लेख है। ज्ञानेश्वर में मधुमक्खी पालन का जिक्र है... ज्ञानेश्वर ने सात सौ साल पहले कहा था कि सिर्फ खेती से ही नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर कोई किसान दूध का कारोबार करता है और कृषि से व्यापार करता है तो इससे मुनाफा बढ़ेगा और किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। ऐसा नहीं करने पर किसान कर्जदार हो जाता है। इसका उल्लेख इस प्रकार है। संत ज्ञानेश्वर ने कृषि प्रबंधन के प्रकारों का वर्णन किया है, कुछ जमींदार अपनी मेहनत से खेती करते हैं, कुछ किसान बटाई से खेती करते हैं, कुछ व्यापारी बंजर भूमि खरीदते हैं और कड़ी मेहनत से जमीन पर खेती करते हैं और बहुत अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करते हैं। चौथा प्रकार है 'खेतीं में मेहनत करनेवालें की भूमि'।[4]

कृषि और अन्य व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता है कि अठारहवीं शताब्दी में कृषि मुख्य व्यवसाय था। अन्य व्यवसाय छोटे पैमाने पर चलते हैं, जिन्हें कुटीर उद्योग cottage industries कहा जाता है। उस समय की जनसंख्या आज की तुलना में कम थी, इसलिए भूमि की कभी कमी नहीं होनी चाहिए थी। घटते प्रतिफल के नियम को अंग्रेजी में कहते हैं Law of diminishing returns उस समय के किसानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। इसके अलावा, प्रत्येक गाँव के पास कई भूखंड थे। पहले बाजीराव ने सरकार का नाम लेकर ऐसी जमीनों को खेती के दायरे में लाने के लिए काफी प्रयास किए थे। किसी भी कारण से, पेशवा सावधान थे कि भूमि को मुफ्त में बर्बाद न होने दें। पेशवा स्वयं बड़े-बड़े बाग लगाकर कृषि को प्रोत्साहित करते थे। पुणे-सातारा और अन्य शहरों में बड़े-बड़े बाग लगाने और अलग-अलग गांवों से पेड़ लाने के कई ऑर्डर हैं। साथ ही कृषि में सुधार के लिए सरकारी खर्च पर कुओं और तटबंधों का निर्माण कराया गया।[5] इस तरह लिख रहे हैं। चिं. ब. जोशीने अपने लेख 'पेशवाईतील महाराष्ट्राचा आर्थिक इतिहास' में लिखा है। इस लेख में व्यक्त विचारों को कुछ उदाहरणों से देखा जा सकता है।

भूमि राजस्व प्रणाली

मध्य युग में राजस्व प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्व संग्रह की विधि थी। खेती के लिए उपयुक्त भूमि और फसलों पर कर लगाया जाता था। इस कर को लगाने के लिए जिन दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया, वे थे 'बटाई' और 'बिघवानी'। बटाई पद्धति में सरकार का हिस्सा खड़ी फसल का निरीक्षण करके निर्धारित किया जाता था, जबकि भूमि का हिस्सा भूमि की प्रति के अनुसार निर्धारित किया जाता था। कर नकद या उपज के हिस्से के रूप में लगाया जाता था। यह कर सभी गांवों पर सामूहिक रूप से लगाया जाता है न कि व्यक्तिगत किसानों पर। कृषि उपज में बालूतेदारों का हिस्सा अलग रखा गया और शेष फसल के हिस्से को किसान के हिस्से के रूप में विभाजित किया गया।[6] इस प्रक्रिया में भूमि की गणना महत्वपूर्ण थी। प्रत्येक राजवंश में नई गणना की गई।

मध्यकालीन महाराष्ट्र में अदिलशाही सत्ता का प्रधान मलिक अंबर ने राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया। भूमि का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने बागवानी-कृषि के प्रकार पर निर्णय लिया, और इसे शीर्ष, अव्वल, दुम, सीम, चारहम या चारसीन के रूप में वर्गीकृत किया। सारा ने आय का पांच मे से दो भाग का हिस्सा तय किया। वसूली का एक तिहाई नकद में लेने की प्रथा शुरू हुई। भूमि की वार्षिक आय पर एक निश्चित खंड पर निर्णय लेने के बजाय, नकद वसूली पद्धति शुरू की गई थी।[7]

छत्रपती शिवाजी महाराज ने सबसे पहले भूमि की गिनती का काम किया ताकि रैयतों को कोई नुकसान न हो। इसके लिए 5 हाथ और 5 मुट्ठियों की लंबाई की एक मापने वाली छड़ी तय की गई थी। इस गणना से लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लाठी की लंबाई का निर्धारण करते समय गांव में सबसे लंबे हाथ और मुट्ठी वाले व्यक्ति का चयन किया जाता है। ऐसी मुट्ठी को घोड़े की मुट्ठी कहा जाता था। एक 5 बीघा और 5 मुट्ठी की लंबाई मापने वाली छड़ी का वजन 20 औरस-चौरस वर्ग की छड़ें मिलाकर एक बीघा होता था। उन्होंने ऐसी जमीन को नाप कर गांव के बारे में जानकारी ली। ऐसा सदस्य बखरित ने कहा है। इस छड़ी को 'चलती हुई छड़ी' कहने का अर्थ है कि यह कूद कर गिनती करती थी। इस कारण से, एक क्षेत्र में प्रत्येक स्थान की भूमि की लंबाई समान नहीं होगी। लोगों की सुविधा के लिए कुछ जगहों पर गांव के एक मंदिर की दीवार पर नापने की छड़ी खुदी हुई थी। इस उपाय के अनुसार ग्रामीणों को लाठी बनाकर जमीन नापने का महत्वपूर्ण कार्य गांव के महार मेहतर बलूतेदार को सौंपा जाएगा और यदि कोई गणना की शिकायत करता है तो महार मेहता की सलाह पर निर्णय लिया जाएगा।[8]

गणना के समय, 'चकबंदी' या 'बिघावणा' का अर्थ है स्वामित्व वाली भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमाओं का सीमांकन करना और भूमि को 'शीर्ष', 'पूंछ', 'सीम', 'चारहम', 'बजट' आदि के रूप में वर्गीकृत करना। फसल जमीन में पड़ी तो फसल का निरीक्षण किया। 'सारा' का निर्णय फसल के प्रकार, कृषि के लिए प्रयुक्त नहरी जल (पाटस्थल) अथवा खेत में कुएँ के जल (मोटस्थल) को ध्यान में रखकर किया गया था। शिवाजी महाराज ने फसल की आय के पांचवें मानें तो उसमें से दो हिस्से पर राजा का अधिकार माना जाता था। दस्तावेजों में इसका उल्लेख 'राजभाग पचादुई' के रूप में है।[9]

सत्रहवीं शताब्दी में भी भूमि सर्वेक्षण करने के बाद कर लगाया जाता था। सरकार का हिस्सा भूमि के आकार, बीघा से प्राप्त आय आदि के आधार पर तय किया जाता था।[10] उदाहरण कें तौर पुणे में भूमि, भूमि का आकार आदि तालिका 1 में दिए गए हैं। इस तालिका में तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े दिए गए हैं। यहां की जमीन को कसतक में नापा जाता है। कितना वसूल किया जाएगा, कितना ग्राम खर्च होगा और दावेदारों की राशि, गणना की दर, बाकी अनुबंध यानी सरकार को कितना राजस्व आएगा आदि इस तालिका में समझा जाता है।

तालिका १ कसबे पुणे की भूमि और राजस्व

घटक	इ.स. 1786	इ.स. 1791	इ.स. 1794
जमा कास (जमीन) टके	7.751	7.751	7.751
भूमि राजस्व रक्कम	1052 रु. 4 आणा	1052 रु. 4 आणा	1052 रु. 4 आणा
गाव का खर्च- हक्कदार सालदार	276	259 रु. 4 आणा	275
भूमि सर्वेक्षण प्राति रूका क्षेत्र पर रु. 6	--	204	--
वाकी करार	776	589	777 रु. 4 आणा

तालिका 1 में दर्शाई गई भूमि 7.751 टका अर्थात 31 चावर और 15 बीघे थी। या भूमि 1052 रु. 4 आणा राजस्व वसूल किया जा रहा था। इसका मतलब है कि औसत लेवी 33.80 रुपये प्रति चावर थी। इ.स. 1808 साल में तरफ हवेली मे सें एक गांव हडपसर में लगभग ६१ चावल के खेत थे। उस वर्ष उस क्षेत्र में 2250 रु. और 4 आणा इतना भूमीकर था[11], इस तरह भूमि कर समझमे आता है। इस उदाहरण में, औसत भू-राजस्व प्रति चावर 36.88 रुपये है। उपलब्ध उदाहरणों में, औसत भू-राजस्व लेवी 33.80 रुपये, 36.88 रुपये प्रति चावर थी, लेकिन सभी भूमि समान

नहीं थी। पिछले उत्पादन, मिट्टी की बनावट, बागवानी, कृषि विज्ञान, फसल की प्रकृति आदि को देखते हुए कमोबेश कर लगाया जाता था।

भूमि सर्वेक्षण

सनद और पत्रों में उल्लेख है कि पुणे परगना का भूमि सर्वेक्षण छत्रपती शिवाजी के पिता शाहजी राजा के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसके बाद छत्रपती शिवाजी महाराज के स्वराज्य की स्थापना हुई और बाद में अठारहवीं शताब्दी में। हालांकि, व्यापक सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

यहाँ अठारहवीं शताब्दी के भूमि सर्वेक्षणों की कुछ सूचियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार, पाटस, पुणे में गांवों की दो सूचियां निम्न तालिका में दी गई हैं। भूमि को चावर और टाक के संदर्भ में मापा जाता था। दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुणे प्रांत में भूमि को टका या चावर में मापा जाता था। ये आयाम जगह-जगह अलग-अलग थे।

तालिका 2 पुणे प्रांत में भूमि सर्वेक्षण के आयाम और उनकी समझ

टका = चावर	चावर = बिघा	टका = परतणे	परतणे = बिघा	चावर = परतणे
1 = 4	1 = 120	1 = 32	1 = 15	1 = 8

तालिका 3 :- भूमि की सूची: पाटस तरफ के गांव

गाव का नाम	भूमि : चावर-बिघा- पांड		गाव का नाम	भूमि : चावर-बिघा-पांड	
साल	1719-20	1733-34	साल	1719-20	1733-34
कसबे पाटस	70-00-3.5	70-00-3	मौजे नानवीज	24	24
मौजे आलेगाव	10	10-30-2	मौजे नायगाव	9	9
मौजे कानगाव	89-60	89-60	मौजे पडवी	13	18
मौजे कुरकुंब	35-00-2.5	35-30.2.5	मौजे पारगाव	92-60	92-60
मौजे कुसेगाव	26	26	मौजे पेडगाव	44	44
मौजे केडगाव	40-30	40-00-2.5	मौजे बोरी ब्याळ	54-60५४॥	५४॥
मौजे खानवटे	25	25	मौजे बोरीपार्धी	32	32
मौजे खुटबाव	40	40	मौजे भांडगाव	22	22
मौजे खोपोडी	16	14	मौजे मलठण	64-00-2	64-00-2
मौजे खोरवडी	12-60	12-60-5	मौजे मळद	70-00-1	70-00-1
मौजे गार	48	48	मौजे राजेगाव	69-30-4.5	69-30-4.5
मौजे गिरीम	36	36	मौजे रोटी	13	13
मौजे चिंचोली	60	60	मौजे वडगाव	18-60-4	18
मौजे जिरेगाव	21	16-60	मौजे वरवंड	111	111
मौजे दापोडी	35	35	मौजे वाखारी	20	20
मौजे देऊळगाव	—	25-30	मौजे वाटलुज	25	25-30-4
मौजे देऊळगाव गाडा	15	15	मौजे वासुंदे	18	18
मौजे देलवडी	44	44	मौजे सिरापूर	25	24

मौजे दौंड	63-60-4.5	63-60-4.5	मौजे सोनवडी	32-60-4	32-60
मौजे नंदादेवी	16		मौजे हिंगणी गाडा	20	18-90-2.5
मौजे नानगाव	52	52	मौजे हिंगणी बेरडी	25	
			संपूर्ण	1633-60-3.25	1561-90-1

भूमि को मापने के लिए 'चावर' इकाईका उपयोग किया जाये तो इसमेसें छोटी इकाई 'बीघा' का प्रयोग किया जाता था। 'टका' भुमापन परिमाण उपयोग में लाये तो इसके लिए छोटी इकाई 'परतने' का इस्तेमाल किया जाता था। पुणे प्रांत में कुछ जगहों पर 'परतने' के बजाय 'रुका' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उनकी समझ अलग थी। पुणे प्रांत में, इन विभिन्न भूमि मापों का पारस्परिक अनुपात या समझ तालिका 2 के अनुसार थी।

उचित भूमि सर्वेक्षण की मांग

अक्सर शिकायतें आती हैं कि भूमि सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से संबंधित गांव की फिर से गिनती करने के आदेश दिए जाते थे। कस्बे व कर्यात सासवड के कुलकर्णी व देशकुलकर्णी की मांग पर नारो शंकर सचिव से भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की है। रा. गोपजीपंत द्वारा की गई पूर्व गणना को बलपूर्वक किया गया है। इसका उल्लेख करते हुए, गिनती का क्रम पाँच के पाँच हाथ और एक घोड़े की मुट्ठी जैसी रस्सियों द्वारा दिया गया था।[12]

सिंचित भूमि-

कस्बे सासवड में कुछ सिंचित क्षेत्र थे। जहांपर 6 रुपये सालका भूराजस्व देणेका आंबटन था। पानी की वजह से फसल बर्बाद होने को देखते हुए सरकार ने 3 रुपये देनेको कहा और 3 रुपये की छूट दे दी। तीन रुपये प्रति बिघा अनुसार हिसाब राजस्व लेने को राजी है। यदि किसी किसानसे वर्तमान वर्ष में अधिक लिया है, तो आपको अगले वर्ष कम राजस्व लेना चाहिए ऐसी सूचनां दि गयी।[13]

बंजर भूमि और कर

यदि खेती योग्य भूमि परती रहती है, तो सरकार को धान कर का भुगतान करना पड़ता है। इ.स. १७९२ के पत्र के अनुसार विठोजी सूर्यवंशी और राघोजी निंबालकर की विरासत की भूमि तरफ पाटस में मौजे कुरकुंभ की ओर थी, कर भुगतान के लिए कहने पर उन्होंने सरकार से शिकायत की। सरकार ने आदेश दिया कि अगले साल से परती जमीन में रोपनी की जाए। अगले साल से टैक्स लगना चाहिए। गिरावट कर ले लो।[14]

छत्रपति शाहू महाराज के इ.स. 1750 के एक हलफनामे में जो खेती के अधीन न होनेवाली भूमि के लिए राजस्व का स्वरूप बताया गया है। कस्बे सासवड प्रांत पुणे में जमीन के संबंध में यह पत्र प्रधानमंत्रीने भेजा है और देशमुख तथा मोकादम को संबोधित है। 'अगर कौल ने बारिश का आदेश दिया, तो उम्मीद है कि रयात किरडी बनाएंगे। उसी से मामुरी को देखो और पांच साल में खोई हुई जमीन की राशि भर दो। 'आदेश दिया गया था। गाँव के रैयत और उच्च कुलों के आने पर भी पाँच वर्षीय भूमी राजस्व निश्चय किया गया।[15]

साधारण किसान गाँव के अधिकारियों से ठेके या पट्टे पर भूमि रखते थे, इसे कौल कहा जाता था। जिसे हर साल या कम से कम हर तीन साल में रिन्यू किया जाता था।[16] उन्हें गांव के सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

ष्कर्ष -

मराठा भू-राजस्व व्यवस्था को इस माध्यम से समझाया जा सकता है। भू-राजस्व सरकारी राजस्व का एक ुख हिस्सा था। राजस्व नकद या वस्तु के रूप में एकत्र किया गया था। करों का निर्धारण भूमि श्रेणीकरण, सिंचाई ाली, फसल प्रकृति के आधार पर किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। उसी के आधार पर कर वसूल या जाता था। बागवानी और कृषि योग्य भूमि के लिए अलग-अलग कर लगाए गए। परती भूमि को खेती के दायरे लाने के लिए किसानों को पट्टे के आधार पर किराया दिया गया था। साथ ही हलफनामे के आधार पर जमीन किसानों सौंप दी गई। ग्राम राजस्व व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। गाँव पर केंद्रीय या मूल तत्व के रूप में कर लगाया ता था।

ा. ब. राहूडकर, लेख कृषी विकासाची वाटचाल, अंतर्भूत मोरवंचीकर, डॉ. रा. श्री.,**'आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण-त्यकार चरित्रकोश' खंड १ इतिहास**, निर्मन प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, पृ.६१२.

पपरोक्त.

पपरोक्त, पृ.६१३ .

पपरोक्त, पृ.६१७-६१६ .

वें. ब. जोशी, **'पेशवाईतील महाराष्ट्राचा आर्थिक इतिहास'** लेख अंतर्भूत, भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे त्रैमासिक, संपा. तदार द.वा., मुजुमदार, ग. ना., वर्ष १५, अंक २, लेख ६, पृ.६७.

ंदीप तिखे, **'ब्रिटीशकालीन जमीन मोजणी व महसूल आकारणी'** अप्रकाशित शोधनिबंध.

पपरोक्त, पृ.३३६ .

. रा. कुलकर्णी, **महाराष्ट्र समाज आणि संस्कृती,** डायमंड प्रकाशन, पुणे, मे २००८, पृ.४३.

चिंतामण गणेश कर्वे, (संपा.), **पुणेनगर संशोधन वृत्त,** खंड-१, १९४२, पुणे, पृ. १९.

संदीप तिखे, पूर्वोक्त, पृ.३३६ .

पुणे पुरालेखागार, प्रांत अजमास, पुणे, रुमालक्र.- ४२९, यादी मौजे हडपसर, तरफ हवेली, प्रांत पुणे, सुहूर सन समान तैन.

विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे, (संपा.); **मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने,** खंड- ६, पुणे, पृ. १६०.

Ganesh Chimnaji Wad, Selections From Satara Rajas and The Paishwa's Diaries, Part-III, Pune, 07, P. 216.

सदाशिव आठवले, तुळशीबागवाले दप्तर, **भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे त्रैमासिक,** पुणे, वर्ष ७६, अंक १४-, जुलै १९९७ प्रिल १९९८, पृ. १२४.१२५-

विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे, (संपा.), पूर्वोक्त, पृ. १४८.

Mountstuart Elphinstone, **'Report on Territories conquered from Paishwa'**, Govemment Gazette ss, Calcutta, 1821, P. Appendix-XXIV.

❑❑❑